वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 13.08.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", हिन्दुस्तान, आज, ज्ञानशिखा टाइम्स, राष्टीय सहारा," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

हिन्दुस्तान–दि0 13.08.2024

गंगा के किनारे अवैध निर्माण सील किया गया

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने सोमवार को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। नगवा वार्ड में अस्सी घाट के पास गंगा किनारे 200 मीटर दायरे में नींव और दीवार का निर्माण कराया जा रहा था। इसको सील कर दिया गया। सारनाथ वार्ड में 4 बीघा और सिंहपुर स्थित अरिहंत नगर कॉलोनी में तीन बीघा में तथा गंज में एक बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया।

आज –दि0 13.08.2024

विप्रा की काररवाई : भवन सील, चला बुलडोजर

वार्ड रामनगर के मौजा दहिया में एक मकान मालिक ने बिना विप्रा में मानचित्र मजूर स्वीकृत दूकान निर्माण कर रहा था। शिकायत के आधार पर नोटिस जारी कर मकान मालिक को शमन मानचित्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण के बाद शमन मानचित्र को निरस्त कर दिया गया। मकान मालिक ने शमन मानचित्र निरस्त होने के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखा शिकायत के आधार पर जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार अवर अभियन्ता पी एन दूबे भवन को सील करते हुए थाना प्रभारी के अभिरक्षा में सौप दिया। सोमवार को ही सारनाथ सिरपुर अरिहंत कालोनी में एक कास्तकार ने बिना ले आउट प्लान पास कराये प्लाटिंग कर रहा था। सारनाथ में ही एक अन्य व्यक्ति ने एक बीघा जमीन पर बिना अनुमति के प्लाटिंग कर रहा था। शिकायत के आधार पर क्षेत्रीय जोनल अधिकारी सजीव कुमार अवर अभियन्ता जेपी गुप्त और प्रवर्तन दल ने जेवीसी की सहायता से प्लाटिंग पर हुए निर्माण कार्य को गिरा दिया।

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 13.08.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2, वार्ड- सारनाथ की प्रवर्तन टीम द्वारा कुल 04 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध हुई ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-सारनाथ, मौजा - सिंहपुर अरिहंत नगर कॉलोनी के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा लगभग 03 बीघा क्षेत्रफल पर तथा वार्ड- सारनाथ, मौज़ा- गंज के अन्तर्गत अज्ञात द्वारा लगभग 01 बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी द्य उपरोक्त स्थलों पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को आज दिनांक 12/08/2024 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। जोनल अधिकारी संजीव कुमार अवर अभियंता जे0 पी0 गुसा उपस्थित रहे ठपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

राष्ट्रीय सहारा –दि0 13.08.2024

वीडीए ने अवैध प्लाटिंग पर चलाया बुलडोजर

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर सारनाथ वार्ड में कुल चार बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। सारनाथ वार्ड के मौजा सिंहपुर अरिहंत नगर कॉलोनी के अंतर्गत अज्ञात द्वारा लगभग तीन बीघा क्षेत्रफल पर तथा वार्ड- सारनाथ, मौजा-गंज के अंतर्गत अज्ञात द्वारा लगभग एक बीघा क्षेत्रफल पर अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। उपरोक्त स्थलों पर किये गये अवैध प्लॉटिंग को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। वहीं दूसरी तरफ रामनगर, थाना-मुगलसराय, मौजा-डहिया (पेट्रोल पंप के पास) रामचन्द्र यादव पुत्र स्व. रघुनाथ यादव द्वारा भूतल पर आरसीसी कालम खड़े कर शटरिंग का कार्य किये जाने पर पक्ष के विरुद्ध सील की कार्रवाई की गई। पक्ष द्वारा 16 सितम्बर 2022 को रामचन्द्र पुत्र स्व. रघुनाथ के नाम से प्रश्नगत स्थल (आराजी संख्या 178, मौजा-डहिया, परगना-राल्हूपुर, वार्ड-रामनगर, चंदौली पर शमन मानचित्र स्वीकृति के लिए दाखिल किया गया था, प्रस्तुत शमन मानिचत्र पर आपत्तियां लगाई गयी। पक्ष द्वारा आपत्तियों का निराकरण नहीं किया गया। जिस पर निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया। इसी प्रकार नगवां वार्ड के अंतर्गत अनुराग द्वारा अस्सी नगवां योग सेंटर के उत्तर में गंगा नदी से 200 मीटर के अन्दर लगभग 45325 वर्गफीट के क्षेत्रफल में स्टील स्ट्रक्चर पर रेस्टोरेन्ट के लिए नींव एवं दीवार का निर्माण कार्य किये जाने पर नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में रेस्टोरेन्ट के लिए नीव एवं दीवार का निर्माण कार्य किये जाने पर उक्त अनिधिकृत निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया गया।